

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/11/24 वकील प्रार्थी हाजिर नहीं / वकील प्रार्थी की
मूल्य बाद अदम्य पैरवी एवं अदम्य हाजिरी पर
खारिज किया जा चुका है। उक्त प्रार्थी पर
2022/24 के तहत दिनांक 15.07.2018 को
जारी किये गए निषेधाज्ञा को समाप्त किया
जाता है। पत्रावली निकित होकर दाखिल
दफ्तर है।
निर्णय सुले नयाथलय में हुआ।

2

